ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashok Road, New Delhi-110 001

No 3/1/2009/SDR

Dated: 27th November, 2013

To.

The Chief Electoral Officers of all States/UTs

Subject: - Amendment to the Registration of Electors Rules, 1960-regarding.

Sir,

I am directed to forward herewith a copy of the Registration of Electors (Amendment) Rules, 2013 as published in Extraordinary issue of the Gazette of India dated 24th October, 2013, and to state that by this Amendment, Rule 8B(Inclusion of names of overseas electors in the rolls),Rule14(Manner of lodging claims and objections),Rule15(Procedure of designated officers),Rule16 (Procedure of registration officers)&Rule34(Disposal of electoral rolls and connected papers) of the R.E.Rules, 1960 and Forms 6,6A,7,8and 11A appended thereto, have been amended. In addition, two Rules 27(Appeals from under rule 26) and 32(Custody and preservation of rolls and connected papers) of the R.E. Rules 1960 have also been substituted by new rules.

- 2. The consequences of the amendments are following:-
 - (i) Overseas electors can now file application for inclusion of name in electoral roll in Form 6A "electronically" also, apart from directly to registration officer concerned or sending to him by post.
 - (ii) Now all applications for inclusion/deletion/correction of particulars or transposition of entries can also be filed electronically to registration officer.
 - (iii) List of applications for transposition of entries in electoral roll received in form 8A by designated officer or registration officer are required to be maintained in new Form 11A.
 - (iv) Appeal under Section 24 of the R.E. Rules 1960 against the order of the Electoral Registration officer (during continuous updation) passed under section 22 or 23 of the R.P. act 1950 will first lie before the DM/ADM/Executive Magistrate/District collector without any fee within the period of fifteen days of the order appealed from or sent by registered post so as to reach him within that period. A further appeal against the order of DM/ADM/Executive Magistrate/District collector on the first appeal will lie before the CEO of the State within the period of thirty days of the order appealed from or sent by registered post so as to reach him within that period.
 - (v) One authenticated printed copy of the roll will now be retained by the registration officer till at least one year after final publication of roll after the next intensive revision, or summary revision, as thecase may be. One

authenticated printed copy of the roll along with one copy of the roll in electronic form will have to be retained by the office of the District Election Officer as a permanent record. All other papers connected to revision of the roll including Forms 6, 6A, 7, 8 and 8A will be retained at least for three years after the completion of the next intensive revision or summary revision, as the case may be.

- (vi) In Forms 6,7,8, and 8A appended to the R.E. Rules 1960, applicant will now have to mention mobile phone number and e-mail-id, if any.
- (vii) In Form 6A overseas applicant will have to indicate contact number and email id.
- 3. The provisions of theRegistration of Electors (Amendment) Rules, 2013, may pleasebe brought to the notice of all Electoral Registration Officer and election authorities in your State/Union Territory for their information and compliance

Kindly acknowledge receipt.

Yours faithfully,

(N.T.Bhutia) Under Secretary



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2478]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 24, 2013/कार्तिक 2, 1935

No. 2478]

NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 24, 2013/KARTIKA 2, 1935

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अक्तूबर, 2013

का.आ. 3242(अ).—केन्द्रीय सरकार, निर्वाचन आयोग से परामर्श के पश्चात्, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2013 है।
- (2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8ख के उपनियम (1) में, "सीधे आवेदन कर सकेगा या " शब्दों के पश्चात् , "इलेक्ट्रानिकी रूप में या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
 - 3. उक्त नियमों के नियम 14 में, -
 - (i) प्रारंभिक भाग में, "आक्षेप" शब्द के पश्चात्, "या विशिष्टियों में शुद्धि के लिए या प्रविष्टियों के क्रम में परिवर्तन के लिए आवेदन " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ii) खंड (ख) में, "रजिष्ट्रीकरण अधिकारी को डाक द्वारा" शब्दों के स्थान पर "रजिष्ट्रीकरण अधिकारी को डाक द्वारा ; या" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (iii) यथा संशोधित खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा :-
 - "(ग) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को इलेक्ट्रोनिकी रूप में प्रस्तुत किया जाएगा ।"।
 - 4. उक्त नियमों के नियम 15 में, -
 - (क) उपनियम (1) में, खंड (क) में,
 - (i) "प्ररूप 10 में सूची और " शब्दों और अंकों के स्थान पर, "प्ररूप 10" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;
 - (ii) " प्ररूप 11" शब्द और अंकों के पश्चात्, " और प्ररूप 11क में प्रविष्टियों को अन्यत्र रखे जाने के लिए एक सूची " शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे ;
 - (ख) उपनियम (2) में, "आक्षेप" शब्द के पश्चात् , "या विशिष्टियों में शुद्धि के लिए या प्रविष्टियों को अन्यत्र रखे जाने के लिए आवेदन " शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

- 5. उक्त नियमों के नियम 16 में खंड (क) में :-
- (क) "प्ररूप 9, 10 और 11 में तीन सूचियां" शब्दों और अंकों के स्थान पर "प्ररूप 9, 10, 11 और 11क में चार सूचियां" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;
- (ख) "आक्षेप" शब्द के पश्चात् , "या विशिष्टियों में शुद्धि के लिए या प्रविष्टियों प्रविष्टियों को अन्यत्र रखे जाने के लिए आवेदन" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।
- 6. उक्त नियमों में नियम 27 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
 - " 27. अधिनियम की धारा 24 के अधीन अपीलें- (1) अधिनियम की धारा 24 के खंड (क) के अधीन प्रत्येक अपील-
 - (क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी ;
 - (ख) अपील के साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है की प्रति होगी ; और
 - (ग) अपील किए गए आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या जिला कलेक्टर या निर्वाचक आयोग द्वारा राजपत्र में यथा अधिसूचित समतुत्य रैंक के अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी या राजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी तािक उस अविध के भीतर उन तक पहुंच सके :

परंतु यह कि ऐसा मजिस्ट्रेट, कलेक्टर या अधिकारी उसे अपील प्रस्तुत करने में विलंब को माफ कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे ।

- (2) अधिनियम की धारा 24 के उपखंड (ख) के अधीन प्रत्येक अपील-
 - (क) अपीलार्थी द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में होगी :
 - (ख) अपील के साथ जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है की प्रति होगी ; और
- (ग) अपील किए गए आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी या रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजी जाएगी ताकि उस अवधि के भीतर उन तक पहुंच सके:

परंतु यह कि ऐसा मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसे अपील प्रस्तुत करने में विलंब को माफ कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपील प्रस्तुत न करने के पर्याप्त कारण थे ।

- (3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के प्रयोजनों के लिए किसी अपील को प्रस्तुत किया गया माना जाएगा जब अपील का ज्ञापन अपीलार्थी द्वारा या उसके निमित्त संबंधित मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, अधिकारी या, यथास्थिति, संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दिया जाता है ॥ ।
- 7. उक्त नियमों में नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :-
 - " 32. नामाविलयों और संसक्त कागज पत्रों की अभिरक्षा और परिरक्षण- पुनरीक्षण के पश्चात् किसी नामावली का अंतिम प्रकाशन,-
 - (क) नामावली की अधिप्रमाणित एक मुद्रित प्रति रिजस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, अगले गहन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पुनरीक्षण के पश्चात् ऐसे अंतिम प्रकाशन के पश्चात् कम से कम एक वर्ष तक रखी जाएगी ;
 - (ख) नामावली की एक अधिप्रमाणित मुद्रित प्रति स्थायी अभिलेख के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा रखी जाएगी;
 - (ग) नामावली की इलेक्ट्रानिकी रूप में प्रति स्थायी अभिलेख के रूप में जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में रखी जाएगी;
 - (घ) नामावली की अतिरिक्त प्रतियों का अगला पुनरीक्षण पूरा होने के पश्चात् यथाशीघ्र निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन से निपटान किया जा सकेगा ;
 - (ड) नामाविलयों के पुनरीक्षण से संबंधित सभी अन्य कागज पत्र जैसे कि प्रगणना पैड, गृह-से-गृह सत्यापन के लिए उपयोग की गई नामाविलयों की प्रतियों, उनके आधार पर तैयार की गई पांडुलिपियों, प्रविष्टियों में शुद्धि के लिए दावे और आक्षेप तथा प्रविष्टियों को अन्यत्र रखा जाना (प्ररूप 6, प्ररूप 6क, प्ररूप 7, प्ररूप 8 और प्ररूप 8क) तथा उनके निपटान से संबंधित सभी कागज पत्र यथास्थिति अगले गहन पुनरीक्षण या संक्षिप्त पूरा होने के पश्चात् कम से कम तीन वर्ष तक रखे जाएंगे।